न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 84/2025

श्री बदरी लाल पुत्र सुखाराम मीणा निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राज. --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 16.10.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 15.07.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

मेरे द्वारा दिनांक 1.04.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था, जिस पर आज-तक कार्यवाही नही होने से मजबूरन सूचना आवेदन प्रस्तुत है।

1. यह आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2025 नियमानुसार कार्यवाही शासन एवं अधीनस्थ विभाग अध्यक्षो द्वारा की गई कार्यवाही तथा कार्यालय आदेश पालना हेतु निष्पक्ष निर्णय करने हेतु प्रकरण पालना करने हेतु दिये गये स्मरण पत्रो सत्यापित प्रति जो पढने योग्य है। उपलब्ध कराने का श्रम करें।

2. यह कि आपके आदेशो का अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षो द्वारा आदेश कि पालना एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यालय क्षेत्र अधिकार आता है। इस सम्बन्ध कार्यालय द्वारा कि गई कार्यवाही सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का श्रम करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1811 दिनांक 12.09.2025 व 1882 दिनांक 26.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट दिनांक 25.09.2025 को उपस्थित हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 910 दिनांक 06.10.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से संबंधित होने से उनके पत्र कमांक 741 दिनांक 1.08.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1959 दिनांक 7.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 8207 दिनांक 10.10.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र कमांक 8184 दिनांक 9.10.2025 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

728